<u>न्यायालय:- अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम सं. -3, कोटा (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारी:- कुलदीप शर्मा, आर.जे.एस. (डी.जे. केडर)

जमानत का प्रार्थना-पत्र संख्या-1223/2026

CNR No. : RJKT01-002967-2026

अजय गोचर पुत्र जगदीश, आयु 19 वर्ष, निवासी ग्राम मण्डावरा, तहसील दीगोद, जिला कोटा (राज.)

.....प्रार्थी/अभियुक्त

-बनाम-

राजस्थान राज्य

....अभियोगी

<u>द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 37/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 109(1), 126(2), 115(2), 3(5), पुलिस थाना बूढादीत, कोटा, प्रकरण संख्या 7715/2026, बठनवान सरकार बनाम हनुमान व अन्य</u>

<u>उपस्थिति :-</u>

1. श्री मकसूद अली, अधिवक्ता - प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. अपर लोक अभियोजक - राज्य की ओर से।

<u>- :: आदेश :: -</u> **<u>दिनांक:-</u> 30.05.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त **अजय गोचर** की ओर से यह द्वितीय जमानत प्रार्थना-पत्र धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन प्रस्तुत हुआ, जिसकी नकल अभियोजन पक्ष को दिलाई गई। पत्रावली प्राप्त हुई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक की ओर से बहस जमानत सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह तर्क दिया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में झूठा

Authenticated Document

फंसाया गया है। प्रार्थी का उक्त प्रकरण से किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। पुलिस द्वारा प्रार्थी को केवल द्वेषता पूर्वक उक्त प्रकरण में संलिप्त किया जा रहा है, जबकि प्रार्थी का उक्त घटना से किसी प्रकार का कोई लेना-देना व संबंध नहीं है, ना ही फरियादिया द्वारा प्रार्थी का नाम उक्त एफ.आई.आर. में दर्ज करवाया गया है। प्रार्थी से किसी प्रकार की बरामदगी करना शेष नहीं है। प्रार्थी नवयुवक है तथा प्रार्थी न्यायिक अभिरक्षा में है तथा प्रार्थी के लम्बे समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने से प्रार्थी के भविष्य पर बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना है। प्रार्थी वर्तमान में कोटा जिले का निवासी है, प्रार्थी के फरार होने अथवा गवाहान को टेम्परविद् किये जाने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रकरण में आरोप-पत्र पेश किया जा चुका है तथा प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। ऐसी परिस्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

3. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने भी जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी/अभियुक्त ने गंभीर प्रकृति का अपराध कारित किया है। अतः जमानत प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

4. बहस जमानत उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 05.03.2026 को फरियादिया श्रीमती मूर्तिबाई पत्नी मूलीलाल ने उपस्थित थाना होकर एक परिवाद इस आशय कर पेश किया कि कल दिनांक 04.03.2026 को उसका लड़का राजेन्द्र कुमार पुत्र मूलीलाल, निवासी पीपल्दा, साण्ड गांव से मण्डावरा जा रहा था रास्ते में शिवराज पुत्र लटूर लाल केवट, निवासी पीपल्दा साण्ड, हनुमान पुत्र मोहन लाल केवट, निवासी पीपल्दा साण्ड, दीपक गूर्जर, निवासी मण्डावरा एवं अजय पुत्र जगदीश गूर्जर, निवासी मण्डावरा शराब पी रहे थे। उसका लड़का राजेन्द्र इनके पास से मोटर साईकिल से निकला तो उन चारों ने उसके लड़के की मोटर साईकिल रोक कर खुराडी से हमला कर दिया और उसके लड़के के सिर में खुराड़ी से मारपीट कर चोट पहुंचाई जिससे उसके खून आने लगा और बेहोश हो गया। इन्होंने उसके लडके के पैर पर भी मारपीट कर चोट पहुंचाई। जिसके बाद उसके लड़के को बेहोशी हालत में MBSH कोटा में भर्ती कराया गया। जो अभी भी जैर ईलाज है। उसके लड़के के साथ घटना के समय सुनिल पुत्र

बनवारी लाल केवट एवं दिलशेर पुत्र सियाराम केवट, निवासी पीपल्दा साण्ड भी साथ थे यही अस्पताल लेकर गये थे। इन्होने ही उसे सारी बात बताई है। शिवराज अभी भी धमकी दे रहा है....इत्यादि। उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना बूढादीत, कोटा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 37/2026 धारा 126(2), 115(2), 110, 3(5) BNS में दर्ज की जाकर दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण वर्तमान में अनुसंधानरत है।

6. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत Jugal Vs. State of Rajasthan S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13513/2020 की अनुपालना में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में एक प्रकरण संस्थित हुआ है जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र. सं.	प्रकरण संख्या	अपराध धारा	थाना	सीएस नंबर	विशेष
1.	159/2025	305(ए), 305(बी),331(4), 112(2) भारतीय न्याय संहिता	बूढादीत	173/2025	पेंडिंग कोर्ट

7. इस प्रकार पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट आता है कि प्रकरण में अन्य फरियादी राकेश कुमार द्वारा भी प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य के विरूद्ध चौकी प्रभारी बूढादीत को रिपोर्ट दी गई है जिसमें भी प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य द्वारा आहत के साथ मारपीट किया जाना व प्रार्थी राकेश कुमार की गाडी के लठ मारकर कांच तोडने बताया है। आहत राजेन्द्र पुत्र बनवारी लाल ने बयान अंतर्गत धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी उसके साथ प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य सहअभियुक्तगण द्वारा उसके साथ मारपीट करने का कथन किया है। आहत राजेन्द्र पुत्र बनवारी लाल का चोट प्रतिवेदन पत्रावली पर उपलब्ध है जिसके अवलोकन से उसके कुल 5 चोटें जिनमें चोट संख्या 1 छाती पर दर्द, चोट सं02 पसली के बांई ओर 2X2 से.मी. की चोट, चोट संख्या 3 बांये कंधे में दर्द, चोट संख्या 4 दाहिने पैर पर 2X1 से.मी. चौडा पपडीदार घाव व चोट संख्या 5 दाहिने पैर पर 1x1 से.मी. चौडा पपडीदार घाव आना बताया गया है। उक्त सभी चोटें साधारण प्रकृति की कुन्द हथियार से आना बताया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध अन्य आहत राजेन्द्र पुत्र मूली लाल का चोट प्रतिवेदन का अवलोकन करने से उसके कुल 3 चोटें जिनमें चोट संख्या 1 सिला हुआ घाव 20 से.मी. सिर

Authenticated Document

के बांये भाग पर, चोट संख्या 2 व 3 जांघ व कमर में दर्द की शिकायत होना बताया गया है। चिकित्सक ने चोट नं01 को गंभीर प्रकृति की होना बताया है तथा एक्सरे की राय दी है। आहत का सी.टी. स्केन अनुसंधान पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमें अंकित किया गया है कि -

Note is made of cavum vergae and cavum septum pellucidum.

Depressed fracture seen in left high parietal bone with adjacent soft tissue injury.

Fracture fragment inipinged into adjacent brain parenchyma.

Soft tissue scalp swelling seen in left fronto-temporo-parietal region.

Lacerated scalp wound seen in left temporo-parietal region.

बाद एक्सरे चिकित्सक ने चोट नंबर 1 को जीवन के लिये प्राण घातक होना बताया है। आहत के फोटोग्राफ व चिकित्सकीय दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये हैं। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त अजय गोचर धारा 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना दी कि उसने दिनांक 04.03.2026 को राजेन्द्र पुत्र मूलीलाल व राजेन्द्र पुत्र बनवारीलाल निवासीगण पीपल्दा सांड के साथ जिस कुल्हाडी से मारपीट की, वह उसने अपने घर में छिपाकर रख रखी है जिसे वह चलकर बता सकता है। उक्त सूचना पर दिनांक 31.03.2026 को प्रार्थी/अभियुक्त अजय गोचर से एक लोहे की कुल्हाडी बरामद किया जाना पत्रावली से प्रकट आता है। हालांकि इस प्रकरण में सह-अभियुक्तगण दीपेश व हनुमान की जमानत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, बैंच जयपुर के आदेश दिनांक 14.05.2026 के द्वारा स्वीकार की जा चुकी है और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने खेतसिंह के प्रकरण में यह निर्देश दिये हैं कि यदि किसी प्रकरण में किसी आरोपी की जमानत उच्च न्यायालय के द्वारा स्वीकार कर ली जाती है तो ऐसे में अन्य आरोपीगण की जमानत प्रार्थना-पत्र पर विचार करते समय न केवल ऐसे आदेश का अवलोकन किया जायेगा, बल्कि उसका अनुसरण भी किया जायेगा, जब तक कि प्रार्थी/आरोपी का मामला उससे भिन्न अथवा गंभीर न हो। उक्त सम्मानीय दिशा-निर्देशों को दृष्टिगत रखते

Authenticated Document

हुए यदि हस्तगत प्रकरण में देखा जाये तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से जमानत पर रिहा किये गये सह-अभियुक्तगण दीपेश व हनुमान मामला प्रार्थी/अभियुक्त से भिन्न प्रकृति का है तथा सह-अभियुक्तगण दीपेश व हनुमान के पूर्व का आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है किन्तु प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व का प्रकरण पत्रावली पर दर्ज होना प्रकट आता है। इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त का कृत्य एक समान न होकर भिन्न प्रकृति का रहा है।

8. प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त अजय व अभियुक्त दीपेश से लोहे की कुल्हाडी व तलवार तथा सहअभियुक्तगण शिवराज व हनुमान से घटना में प्रयुक्त एक कुल्हाडी व लोहे का पाईप बरामद किया गया है। पत्रावली से प्रार्थी के विरुद्ध धारा 115(2), 126(2), 109(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अपराध प्रमाणित माना है। इस प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त अजय गोचर का प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र दिनांक 08.04.2026 को माननीय सेशन न्यायाधीश महोदय, कोटा के द्वारा खारिज किया जा चुका है। प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, प्रकरण में केवलमात्र आरोप-पत्र ही पेश किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त समस्त तथ्य-परिस्थितियों तथा हस्तगत प्रकरण में अपराध की गंभीरता आदि को दृष्टिगत रखते हुए गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

9. अतः प्रार्थी/अभियुक्त **अजय गोचर** की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. एतद्द्वारा अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(कुलदीप शर्मा)
अपर सेशन न्यायाधीश,
क्रम सं.-3, कोटा

10. आदेश आज दिनांक 30.05.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कुलदीप शर्मा)
अपर सेशन न्यायाधीश,

Authenticated Document

क्रम सं.-3, कोटा

MANOJ KUMAR AGRAWAL
Digitally signed by MANOJ KUMAR AGRAWAL
Date: 2026.06.01 08:16:39 +0530

Authenticated Document